प्रेस नोट ***16/05/2026***

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी व विभिन्न मामलों में वांछित/वारंटी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। जिसका विवरण निम्नवत है।

थानावार गिरफ्तारी का विवरण:

1. थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 73/2026 धारा 4/7/25 आर्म्स एक्ट के अभियोग से संबंधित अभियुक्त क्रमश: नदंन कन्नौजिया पुत्र स्व0 केदार धोबी निवासी मिर्जाहादीपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ के कब्जे से एक अदद नाजायज प्रतिबंधित कारतूस व एक अदद नाजायज चाकू बरामद कर नियमानुसार गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

2. थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 93/2026 धारा 137(2) बीएनएस के अभियोग में वांछित अभियुक्तगण क्रमश: (1) लकी गुप्ता पुत्र मोहित निवासी खुटाबोहरवार थाना भीमपुरा जनपद बलिया को नियमानुसार गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

3. थाना घोसी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 185/2026 धारा 85,80(2),115(2),3(5) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट के अभियोग में वांछित 03 अभियुक्तगण क्रमश: (1) मनोज चौहान पुत्र मूलचन्द चौहान निवासी ग्राम कुचहरा थाना घोसी जनपद मऊ (2) मूलचन्द चौहान पुत्र स्व0 लालू चौहान निवासी कुचहरा थाना घोसी जनपद मऊ (3) दुलारी देवी पत्नी मूलचन्द निवासी ग्राम कुचहरा थाना घोसी जनपद मऊ को नियमानुसार गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

4. थाना रानीपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 60/2026 धारा 3(5),110,105 बीएनएस व धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अभियोग में वांछित एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

जनपद पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अभियान लगातार जारी है।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड के विभिन्न मामलों में कुल 02 पीड़ितों को 46087 रुपये की धनराशि वापस कराई गई–

जनपद मऊ पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानों (रामपुर व मधुबन) की साइबर पुलिस टीमों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए 02 पीड़ितों की धनराशि वापस कराई गई।

विभिन्न थाना क्षेत्रों से प्राप्त साइबर फ्रॉड़ की शिकायतों के आधार पर साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं साइबर पोर्टल पर तत्काल कार्रवाई की गई

उक्त कार्यवाही के अंतर्गत जनपद के विभिन्न थानों से कुल 02 पीड़ितों की कुल धनराशि 46087 रुपये वापस कराई गई। जिसमें क्रमशः थाना रामपुर से एक पीडित को 31500 रुपये व थाना मधुबन से एक पीडित को 14587 रुपये उनके खाते में वापस कराया गया।
पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

गुमशुदा 03 मोबाइल फोन (कीमत लगभग 48026 रुपये) बरामद कर उनके स्वामियों को किया गया सुपुर्द-

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर व थाना कोपागंज जनपद मऊ की साइबर पुलिस टीम द्वारा CEIR पोर्टल पर दर्ज 03 शिकायतों का निस्तारण को तत्काल तकनीकि सहायता से तीन मोबाइल फोन को ट्रेस कर बरामद किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त संबंधित को मोबाइल फोन वापस किया गया। मोबाइल प्राप्त कर लाभार्थियों द्वारा मऊ पुलिस की सराहना की गई।

मोबाइल का विवरण: –

1. **एक अदद मोबाइल Oppo A3 (कीमत 19,999 रूपये)**
2. **एक** अदद मोबाइल **Redme Note 12 5G (कीमत 18,499 रूपये)**
3. **एक अदद मोबाइल पोको (कीमत 9528 रुपये)**

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

प्रेस नोट

जनपद मऊ

"सेवा, सुरक्षा, संवेदना के साथ आम नागरिकों की सुरक्षा एवं सहायता हेतु सदैव तत्पर है- जनपद मऊ पुलिस।

आमजन की सुविधा एवं सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से एवं त्वरित सहायता पहुचानें हेतु यूपी-112 मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जनपद जनपद मऊ को 08 नयी दो पहिया पीआरवी (पल्सर) वाहन उपलब्ध कराए गए हैं।

दिनांक 15.05.2026 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी यू पी 112 श्री अनूप कुमार के निर्देशन में इन सभी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर संबंधित थाना क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया।

थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा अवैध जुआ खेलते चार अपराधी को किया गया गिरफ्तार तथा उनके कब्जे से ताश का पत्ता 52 नग व कुल रू0 9380 बरामद -

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानो घोसी पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए

दिनांक 15.05.2026 को धरौली पेट्रोल पम्प के पीछे रेलवे लाइन के पास आने जाने वाले रास्ते के बगल से नाम अनिल कुमार पुत्र स्व0 रामशरण उम्र 28 वर्ष ग्राम धरौली थाना घोसी जनपद मऊ, 2 शिवम राय पुत्र स्व0 विजयशंकर राय उम्र करीब 35 वर्ष निवासी सूरजपुर थाना दोहरीघाट , 3 काशीनाथ पुत्र स्व0 उदल राजभर उम्र करीब 26 वर्ष ग्राम धवरियासाथ थाना कोपागंज जनपद मऊ की जेब से 500 रू0 का 03 अदद नोट, 4 सुनील कुमार पुत्र स्व0 शंकर राजभर उम्र करीब 36 वर्ष ग्राम बड़ागांव थाना घोसी जनपद मऊ, के जामा तलाशी से कुल 7500 रुपये बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. अनिल कुमार पुत्र स्व0 रामशरण उम्र 28 वर्ष ग्राम धरौली थाना घोसी जनपद मऊ
2. शिवम राय पुत्र स्व0 विजयशंकर राय उम्र करीब 35 वर्ष निवासी सूरजपुर थाना दोहरीघाट
3. काशीनाथ पुत्र स्व0 उदल राजभर उम्र करीब 26 वर्ष ग्राम धवरियासाथ थाना कोपागंज जनपद मऊ

4. सुनील कुमार पुत्र स्व0 शंकर राजभर उम्र करीब 36 वर्ष ग्राम बड़ागांव थाना घोसी जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोंग-

1- मु0अ0स0 189/2026 13- उत्तरप्रदेश सार्वजनिक द्युत अधिनियम 1867

बरामदगी विवरण

1. बरामद ताश का पत्ता 52 नग व कुल रू0 9380 बरामद